परिशिष्ट "अ"
तारांकित प्रश्न क्रमांक–290
द्वारा– माननीय विधायक श्री दिव्यराज सिंह

मर्ग कमांक 38/23 धारा 174 जा.फौ. की जांच में मृतिका राजकली के परिजनो पिता सुरेश केवट, भाभी प्रियंका केवट, चाची सुमित्रा केवट, पड़ोसी मनबहोर केवट, सरमन केवट से पूँछताछ कर कथन लेखबध्द किये गये। मृतिका के पिता सुरेश केवट व भाभी प्रियंका केवट ने अपने–अपने कथनों में बताया कि मृतिका राजकली केवट ने मृत्यु से पूर्व शिकारगंज में मिलने पर उन्हें बताया था कि प्रतीक्षा सिंह व उसके पति यशोवर्धन सिंह द्वारा गहनों की चोरी का आरोप लगाकर मृतिका राजकली केवट के साथ बहुत मारपीट की हैं तथा करेंट भी लगाया गया है। मृतिका की चाची सुमित्रा केवट, पड़ोसी मनबहोर केवट व सरमन केवट ने अपने–अपने कथनों में यह बताया है कि प्रतीक्षा सिंह व उसके पति यशोवर्धन सिंह द्वारा स्वंय उनके सामने यह कहा गया है कि मृतिका राजकली केवट के साथ उन लोगो ने बहुत मारपीट की है एवं करेंट लगाकर टट्टी पेशाब तक निकलवा ली है फिर भी राजकली केवट द्वारा चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। प्रतीक्षा सिंह व उसके पति यशोवर्धन सिंह द्वारा अपनी नौकरानी राजकली केवट के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे अपने घर मे दिनांक 28.10.2023 से चोरी का पता चलने के बाद से लगातार दिनांक 30.10.2023 के 10:00 बजे तक चोरी गए गहनों के संबंध में पूछताछ की जाकर गहने वापस किये जाने के लिए गंभीर मारपीट की गई।

प्रतीक्षा सिंह द्वारा थाना सिविल लाईन रीवा में अप0 क0 598/23 धारा 454, 381 भादवि का अपराध राजकली केवट के विरूद्ध पंजीबद्ध कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रधान आर0 291 विवेक सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस अभिरक्षा में राजकली केवट की मृत्यु होने पर मर्ग जांच के दौरान थाना सिविल लाईन भवन में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की दिनांक 30.10.2023 की फुटेज का अवलोकन किया जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया गया है सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की फुटेज के अवलोकन से यह पाया गया है कि दिनांक 30.10.2023 के समय 10:16 बजे राजकली केवट को डायल–100 की मदद से थाना सिविल लाईन रीवा लाया गया था। डायल–100 के साथ प्रतीक्षा सिंह एवं यशोवर्धन सिंह भी थाना सिविल लाईन आये थे। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की फुटेज के अवलोकन से यह पाया गया कि थाना सिविल लाईन रीवा भवन के अन्दर विवेचक प्रधान आर0–291 विवेक सिंह, सउनि कौशलेन्द्र प्रसाद शुक्ला व महिला आरक्षक 508 खुशबू तिवारी द्वारा चोरी का अपराध कबूल किये जाने व चोरी गए गहनों को बरामद कराये जाने के प्रयोजन के लिए मृतिका राजकली केवट के साथ उसके पैरों, हथेलियों, गाल व पुट्ठे में प्लास्टिक के पाईप व हाथ से मारपीट

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

किया जाना पाया गया। मृतिका राजकली केवट को चोरी के आरोप में दिनांक 30.10.2023 के 10:16 बजे थाना सिविल लाईन रीवा लाया गया जिससे पूँछताछ कर चोरी गए गहनों की बरामदगी हेतु शिकारगंज जिला सीधी एवं पड़रा रीवा ले जाया गया था वापस थाना आने पर मृतिका की तबीयत बिगड़ने पर दिनांक 31.10.2023 के 00:10 बजे उपचार हेतु एस.जी.एम.एच. रीवा ले जाया गया जहॉ उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के दौरान लेखबद्ध किये गये साक्षियों के कथनों, मृतिका के शव पंचायतनामा, पी.एम. रिपोर्ट एवं क्यूरी रिपोर्ट से तथा थाना सिविल लाईन भवन में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की फुटेज दिनांक 30.10.2023 के अवलोकन से प्राप्त हुए तथ्यों से आरोपीगण प्रतीक्षा सिंह, यशोवर्धन सिंह, प्र0 आर0-291 विवेक सिंह, सउनि कौशलेन्द्र प्रसाद शुक्ला एवं महिला आरक्षक-508 खुशबू तिवारी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन जिला रीवा में अप0 क0 645/23 धारा 302,330,331,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

अनुसंधान आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, सी (1), भोपाल

24.1
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner